

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

ईएफटीए देश

1268. श्री दयानिधि मारन:

क्या वाणिज्य और उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी सीमा तक यह सुनिश्चित करती हैं कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देश व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के तहत अपने 100 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबद्धता को पूरा करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि ईएफटीए निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो रियायतों की वापसी की निगरानी और प्रवर्तन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास 100 बिलियन डॉलर के एफडीआई को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे देश में दस लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में योगदान में मदद मिले, संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) ईएफटीए देशों की कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करने में भारतीय फर्मों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए भारतीय मसाला निर्यात में गुणवत्ता मानकों और संदूषण के मुद्दों का किस सीमा तक समाधान कर रही है; और

(च) भारत-यूके (यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्डर्न आयरलैंड) एफटीए के लिए चल रही वार्ता में ध्यान केंद्रित किए गए प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार किस तरह से यूके में नई लेबर पार्टी सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बना रही है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन (ईएफटीए) देश टीईपीए के तहत भारत को एफडीआई में 100 बिलियन अमरीकी डालर की अपनी प्रतिबद्धता

को पूरा करते हैं, दोनों पक्ष सरकार-से-सरकार उच्च स्तरीय बैठकों, हितधारकों की भागीदारी और परामर्श, थीमेटिक आदान-प्रदान, रोड-शो, क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार राउण्डटेबल्स और अन्य निवेश संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहयोग करेंगे। भारत-ईएफटीए टीईपीए के अनुच्छेद 7.5.1 (ख) के अनुसार, एक समर्पित ईएफटीए निवेश डेस्क ईएफटीए देशों को भारत में निवेश की मांग करने, निवेश कर रहे या निवेश कर चुके निवेशकों की सहायता करेगा।

(ख) भारत-ईएफटीए टीईपीए के अनुच्छेद 7.4 में निवेश संवर्धन और सहयोग पर एक उप-समिति (जिसे 'निवेश उप-समिति' कहा जाता है) जिसमें दोनों पक्षों के सरकारी अधिकारी शामिल होंगे,की परिकल्पना है जो प्रतिबद्धता की प्रगति की निगरानी करेगी। भारत-ईएफटीए टीईपीए के अनुच्छेद 7.8 के तहत, यदि ईएफटीए निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो भारत ईएफटीए देशों को माल व्यापार पर अध्याय के तहत प्रतिबद्धताओं की अनुसूची में दी गई रियायतों को पुनर्संतुलित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा।

(ग) एफडीआई में 100 बिलियन डालर को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की पहचान की गई है और यह सुनिश्चित किया है कि यह देश में दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में योगदान देता है:

- उच्च रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल के साथ नियमित आर्थिक और वैज्ञानिक मिशन;
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अलग-अलग ईएफटीए राज्यों और भारत के बीच वार्षिक उच्च स्तरीय बैठकें;
- नियमित निवेश संवर्धन कार्यक्रम, जैसे, विश्व आर्थिक फोरम में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित;
- सेक्टर-विशिष्ट व्यवसाय संबंधी गोल मेज वार्ता;
- भारत और विभिन्न ईएफटीए देशों में रोड शो;
- विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान;
- कुछ ईएफटीए देशों में प्रतिनिधित्व स्थापित करने में इन्वेस्ट इंडिया के लिए समर्थन;
- मौजूदा टाउन ट्विनिंग कार्यक्रमों की रूपरेखा के भीतर आदान-प्रदान;
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए सहायता; और
- पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियां।

(घ) टीईपीए के कार्यान्वयन पर अगले उपायों की दिशा में काम करने के लिए उच्चतम स्तर पर सरकार-से-सरकार और सरकार-से-व्यवसाय बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें एफडीआई में 100 बिलियन अमरीकी डालर के उद्देश्य को प्राप्त करना और भारत में ईएफटीए निवेशकों द्वारा 1 मिलियन नौकरियों का सृजन शामिल है। ईएफटीए राष्ट्रों की कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए नियमित रूप से व्यापार से व्यापार बैठकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ड.) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए भारतीय मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानकों और संदूषण के मुद्दों का समाधान करने के लिए, मसाला बोर्ड इंडिया ने प्रमुख उत्पादन/निर्यात केंद्रों अर्थात् कोचीन, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में 8 अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) की स्थापना की है और पूरे भारत में एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भी पैनलबद्ध किया है। निर्यात खेपों की विषाक्त पदार्थों, संदूषकों, अवशेषों सहित ज्ञात और उभरती गुणवत्ता और सुरक्षा चिंताओं के लिए जांच की जाती है। आयात करने वाले देश के मानकों, संभाव्यता और उभरते जोखिमों आदि के आधार पर पैरामीटरों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। ईएफटीए देशों के लिए, एचएस कोड 0904 से 0910, 2103 और 1302 के तहत आने वाले मिर्च और मिर्च उत्पादों के लिए एफ्लेटोक्सीन एवं सूडान डाई और मसालों और मसालों के उत्पादों लिए एथिलीन ऑक्साइड जैसे मापदंडों के लिए प्री-शिपमेंट सैंपलिंग और परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मसालों के फसलोपरान्त सुधार, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता और सुरक्षा पैरामीटरों की जांच के लिए इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना, गुणवत्ता एवं सुरक्षा पहलुओं का अनुपालन प्रदर्शन करने वाले प्रमाणपत्र प्राप्त करने, मसालों के लिए त्वरित गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की खरीद आदि के लिए पणधारियों को सहायता प्रदान की जाती है। मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पणधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(च) भारत और यूके 13 जनवरी 2022 से एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता कर रहे हैं। अब तक वार्ताओं के 13 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार। उत्पत्ति के नियम बातचीत के तहत प्रमुख ध्यानकेंद्रित क्षेत्र हैं। दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते पर कार्य कर रहे हैं जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद है, जो दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखता है।
